



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 25.09.2023

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अदद तमंचा देशी व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इन्तजार अली पुत्र अख्तयार अली निवासी गढी अब्दुल मजीद खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद को पानी की टंकी के नीचे पटेल पार्क के पास से समय करीब 02.30 बजे 01 अदद अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 382/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब तमंचे व कारतूस मैंने एक राह चलते व्यक्ति से खरीद लिया था जिसका नाम व पता मुझे मालूम नहीं हैं तमंचा व कारतूस रखने के लाइसेन्स के बारे में पूछा तो दिखाने से कासिर रहा और गलती की मांफी मांगते हुए कहने मैं अपने शौक के लिए तमंचा व कारतूस अपने पास रखता हूँ मुझे आज आपने तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है जुर्म की माफी मांगते हुए चुप हो गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इन्तजार अली पुत्र अख्तयार अली निवासी गढी अब्दुल मजीद खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद ।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद तमंचा देशी व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अभियुक्त इन्तजार अली का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 382/2023 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद ।
2. मु0अ0सं0 – 1082/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

1. उ0नि0 योगेश कुमार श्रीवास्तव
2. का0 विजय जोशी
3. का0 कन्हैयालाल

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कम्पिल

दिनांक :- 25.09.2023

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 वांछित/वारण्टी अभियुक्त मय 01 अदद देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर वांछित/वारण्टी अभियुक्त ओमकार पुत्र परशुराम निवासी धीमर नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को सिवारा मणी चौराहा से करीब 600 मी0 बहवलपुर मार्ग पर बहद ग्राम सिवारा थाना क्षेत्र कम्पिल से मय 01 अदद देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 191/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त ओमकार पुत्र परशुराम निवासी धीमर नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण :- 01 अदद देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोरा।

अभियुक्त ओमकार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 191/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0- 132/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0- 150/2019 धारा 307/323/324/504/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0- 151/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0- 221/2009 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0- 470/2006 धारा 307/506 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह
2. का0 दीपक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कम्पिल

दिनांक :- 25.09.2023

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण सम्बन्धित मु०अ०सं० 183/2023 धारा 376/363 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर 02 वांछित अभियुक्तगण 1. हृदेश पुत्र रघुवीर नि० मो० पट्टी मदारी कसबा व थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ व प्रकाश मे आये 2. अभियुक्त श्याम पुत्र रामनरेश यादव निवासी कसिया नन्दपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज सम्बन्धित मु०अ०सं० 183/2023 धारा 376/363 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट को कम्पिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. हृदेश पुत्र रघुवीर नि० मो० पट्टी मदारी कस्बा व थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. श्याम पुत्र रामनरेश यादव निवासी कसिया नन्दपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

बरामदगी का विवरण :- निल।

अभियुक्त हृदेश का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०- 183/2023 धारा- 376/363 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त श्याम का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०- 183/2023 धारा- 376/363 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह
2. का० दीपक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



